सं. 11012/8/2011-स्था.(क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

6 जनवरी, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 का नियम 32-दोषी सरकारी सेवक को शास्ति के अंतिम आदेश के साथ भेजी जाने वाली संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सलाह-संशोधन के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 32 के प्रावधानों का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के परामर्श की प्रकृति और दोषी सरकारी सेवक को यूपीएससी की सलाह भेजे जाने की रीति के संबंध में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण/उच्च न्यायालयों आदि में कुछ मामलों में मुकदमे दायर किए गए हैं । माननीय उच्चतम न्यायालय ने टी.वी. पटेल मामलें में दिनांक 19.04.2007 को निर्णय दिया कि शास्ति के अंतिम आदेश की मंजूरी से पहले अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोपित अधिकारी को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भेजी गई सलाह की प्रति प्रस्तुत की जानी अपेक्षित नहीं है । तदनुसार दिनांक 07.01.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11012/10/2007-स्था.(क) के तहत सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से अनुरोध किया गया था कि वे केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 मौजूदा प्रावधानों का अनुसरण करें और एक समान मत अपनाते के लिए कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु से सभी संबधितों को अवगत करवाएं।

2. वर्तमान में, भारत संघ एवं अन्य बनाम एस.के. कपूर के मामले में 2006 की सिविल अपील सं. 5341 को खारिज करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 16.03.2011 को निर्णय दिया था कि यह प्राकृतिक न्यय का मान्य सिद्धांत है कि यदि विभागीय कार्रवाई में किसी सामग्री पर निर्भरता है तो आरोप-पत्र दिए गए कर्मचारी को इसकी एक प्रति अग्रिम रूप से प्रदान की जानी चाहिए ताकि कर्मचारी को उसका उत्तर देने का अवसर मिल सके। माननीय न्यायालय ने यह भी पाया कि ऐसा मामला हो सकता है जिसमें अनुशासनिक प्राधिकारी की निर्भरता संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट पर नहीं होनी और ऐसे मामले में इसकी प्रति निश्चित रूप से संबंधित कर्मचारी दी जानी अपेक्षित नहीं है । तथापि, यदि उस पर निर्भरता है, तो उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को अग्रिम रूप से उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, अन्यथा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।

3. विधायी कार्य विभाग के परामर्श से मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया कि एस.के. कपूर मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी (डीए) द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 17 और नियम 32 के प्रावधानों के होते भी, संघ लोक सेवा आयोग की सलाह की एक प्रति, उन सभी मामलों में जहां आयोग की सलाह ली जाती है, आरोपित अधिकारी को उपलब्ध करवाई जाए ।

4. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि उन सभी अनुशासनिक मामलों में जहां आयोग का परामर्श लिया जाता है, निम्निलखित प्रक्रिया अपनाई जाए :

(i). जांच रिपार्ट प्राप्त होने पर डीए को उसकी जांच करनी चाहिए और अपनी टिप्पणियों के साथ उसे आयोग को अग्रेषित करना चाहिए ;

(ii). आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर डीए उसकी जांच करेगा और जांच रिपोर्ट तथा जांच रिपोर्ट से असहमत होने के अपने अनंतिम कारणों और/या संघ लोक सेवा आयोग की सलाह के साथ उसे आरोपित अधिकारी को अग्रेषित करेगा ;

(iii). आरोपित अधिकारी को, यदि वह चाहे तो, 15 दिनों के भीतर अनुशासनिक प्राधिकारी को उसका लिखित अभ्यावेदन अथवा निवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा भले ही जांच रिपोर्ट/यूपीएससी की सलाह उसके पक्ष में हो अथवा न हो ।

(iv). अनुशासनिक प्राधिकारी को आरोपित अधिकारी के अभ्यावेदन पर विचार करेगा और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 15 के उप-नियम 2(क) से (4) में निर्धारित किए अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा ।

5. सुलभ संदर्भ के लिए मौजूदा तथा संशोधित प्रक्रिया को दर्शाने वाला फ्लोचार्ट संलग्न है ।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से अनुराध है कि वे उपर्युक्त् मार्गनिर्देशों को अपने नियंत्रणाधीन सभी अनुशासनिक प्राधिकारियों के ध्यान में लाएं । वे सभी मामले जहां अंतिम आदेश जारी नहीं किए गए हैं, इन मार्गनिर्देशों के अनुसार चलाए जाएं ।

7. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली में औपचारिक संशोधन बाद में किया जाएगा ।

(जे.ए. वैद्यनाथन)
निदेशक (स्था.)
टेलीफैक्स : 23093179

सेवा में

सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. महापंजीयक, भारतीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
7. पंजीयक, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली ।
8. भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ।
9. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
10. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली ।
11. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध कार्यालय ।
12. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली ।
13. राष्ट्रीय अनुसूतिच जनजाति आयोग, नई दिल्ली ।
14. राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली ।
15. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (जे.सी.एम.) 13-सी, फिरोजशाह रोड नई दिल्ली ।
16. स्थापना अधिकारी एवं ए.एस.
17. सभी मंत्रालय/विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी ।
18. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी और अनुभाग ।
19. सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (20 प्रतियां)
20. एनआईसी (डीओपीटी) को इस कार्यालय ज्ञापन को वेबसाइट पर डालने के लिए ।
21. स्थापना अनुभाग (100 प्रतियां)

अनुबंध

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 6 जनवरी, 2014 का कार्यालय ज्ञापन सं. 11012/8/2011-स्था(क)
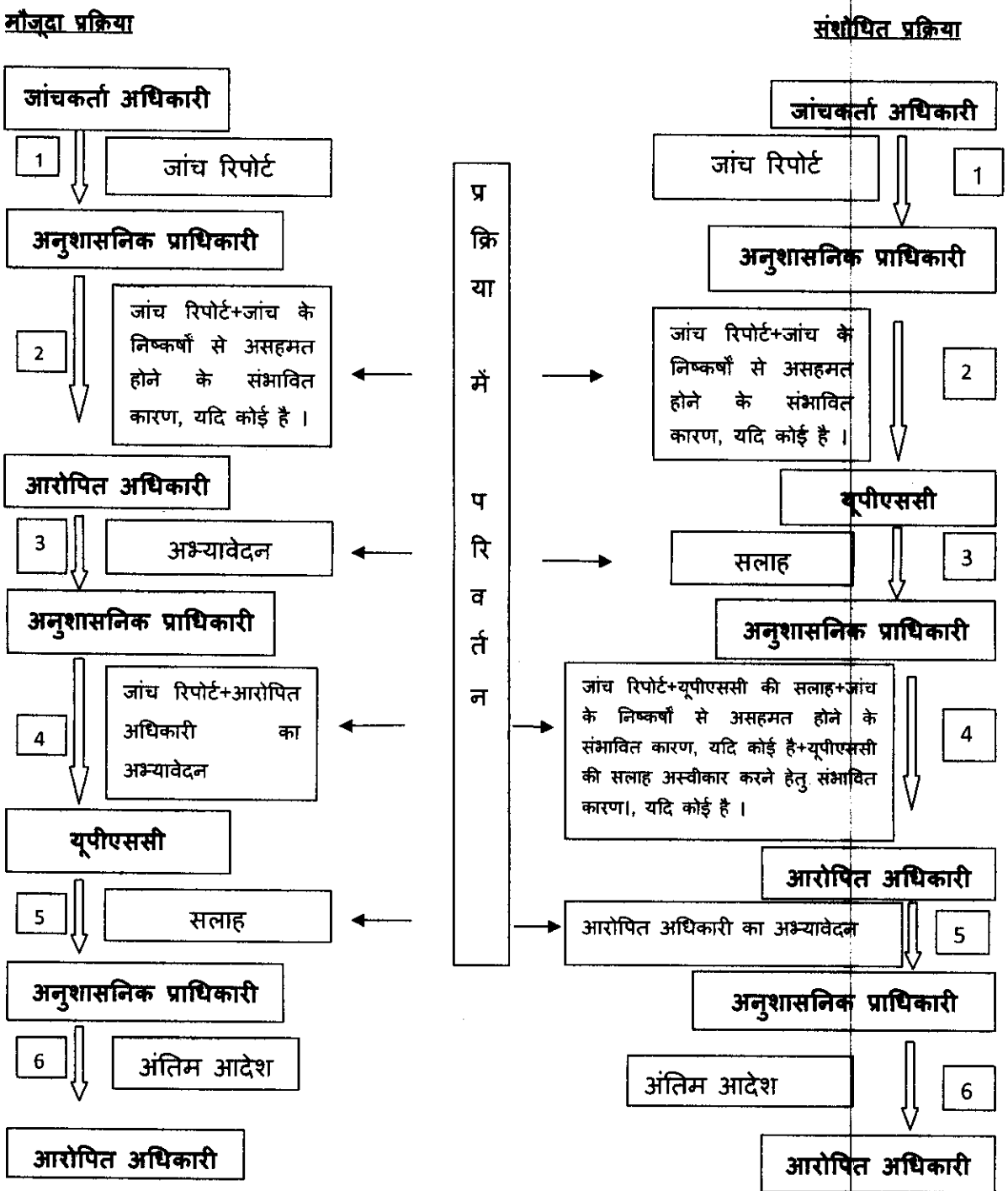
अनुशासनात्मक मामलों में यूपीएससी की सलाह उपलब्ध करवाना